

2020/00512

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम



अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री शंकर पुत्र श्री खीमा  
जाति हरीजन  
निवासी कोदरला तहसील पिण्डवाडा  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये तहसीलदार  
पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा  
5 म्याद अधिनियम

मुकदमा नं. 167 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16.10.2020	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 213/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर, सिरौही</p>	
20.11.2020	<p>अपीलांत/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड-19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांत/का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	

